न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 21 / 2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

<u>बनाम</u>

1. रमेश चन्द पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

<u>प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 रा0 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 29.07.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चूडियावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 640 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2003 में गैर मुमकिन नदी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। सम्वत 2018 में ग्राम चूडियावास के भूमि एकीकरण अभिलेख में उक्त भूमि के परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज हुये। तत्पश्चात् भूमि बन्दोबस्त अभिलेख सम्वत 2041–60 संक्रिया में उक्त संदर्भित भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 427 रकबा 3.04 है. गैर मुमकिन किस्म बंजड सिवायचक लगानी दर्ज हुई। उक्त खसरा नम्बर 427 में से अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी चूडियावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को 2.00 है. भूमि आवंटन होकर जमाबन्दी 2057–60 में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत 2061–64 में भी उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि सम्वत 2003, 2018 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी को निरस्त कर पुनः भूमि को किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु यह रेफरेन्स राजकीय अधिवक्ता के जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा इस न्यायालय में सुनवाई हेतु पेश किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चूडियावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 640 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2003 में गैर मुमकिन नदी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। सम्वत 2018 में भूमि एकीकरण होने पर उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 314 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज हुये। तत्पश्चात् भूमि बन्दोबस्त अभिलेख सम्वत 2041–60 संक्रिया में उक्त संदर्भित भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 427 रकबा 3.04 है. गैर मुमकिन किस्म बंजड सिवायचक लगानी दर्ज की गई। आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 19.02.1994 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 427 में से अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी चूडियावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को 2.00 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि आवंटन की जाकर खसरा नम्बर 427/2 रकबा 2.00 है. भूमि जमाबन्दी 2057–60 में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई। सम्वत 2061–64 में भी उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि सम्वत 2003, 2018 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणो को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नाले, तलाई आदि की भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आर.एल.आर एवं 232 आर.टी.ए. 1955 स्वीकार कर अप्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियो को निरस्त कर पूर्वानुसार प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी को दिया गया नोटिस कतई गलत एवं कानून के खिलाफ दिया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी को आवंटित भूमि विधिवत आवंटन करके प्रार्थी को कब्जा संभलाया गया है एवं नियमानुसार खातेदारी दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में काफी लागत लगाकर उक्त भूमि को ठीक किया गया है। उक्त भूमि नदी, नाले आदि की भूमि नहीं है, ना ही मौके पर नदी नाले बने हुये है। जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 में उक्त भूमि की किस्म बंजड अंकित है एवं प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम चूडियावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 427/2 रकबा 2.00 है. भूमि जो कि प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 427/2 मूल खसरा नम्बर 640 से बने है जो सम्वत 2003 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन नदी की भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official